

पुस्तक लेखिका
प्रेषक

निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक ईन्चार्ज,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा राज्य में।

यादी क० एक्स-1/प्राइवेट परीक्षा/2011-12/परीक्षा

दिनांक: 21-6-2011

विषय:-

काफ्टस गैन ट्रेनिंग स्कीम के अन्तर्गत पूरक परीक्षा जनवरी/फरवरी, 2012 के लिए प्राइवेट तौर पर परीक्षा में बैठने हेतु आवेदन पत्र भेजने बारे।

सूचित किया जाता है कि जनवरी/फरवरी, 2012 में होने वाली पूरक परीक्षा में प्राइवेट तौर पर परीक्षा देने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र बिना लेट फीस के 5.9.11 तक तथा लेट फीस के साथ 12.9.11 तक प्राप्त किए जाने हैं तथा इस बारे पूर्ण सूचना अपने संस्थान के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए।


सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक ईन्चार्ज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के काफ्टस गैन ट्रेनिंग स्कीम के अन्तर्गत आयोजित होने वाली परीक्षा में प्राइवेट उम्मीदवारों की पात्रता के लिए नियम/हिदायतें पहले ही निदेशालय के पत्र क० परीक्षा/प्राइवेट/पोलिसी/हिदायतें एक्स-4/अनुभाग दिनांक 18.2.05 तथा 31.5.05 द्वारा पहले ही भेजी हुई हैं। DGET, New Delhi ने अपने पत्र दिनांक 2.11.10 द्वारा नार्मल संशोधित किए हैं जिस अनुसार प्राइवेट उम्मीदवारों हेतु निर्धारित प्राइवेट विभागीय परीक्षा नियमों में निम्नलिखित प्रावधान/संशोधन किया गया है:-

- i) The applicant should have the minimum prescribed entry qualification for a particular trade under CTS in which he/she is desirous of appearing as private candidate.
- ii) The applicant should possess minimum of 3 years experience in the relevant trade in establishments implementing Apprenticeship Training Scheme/ small establishments covered under Factories Act, 1948 or Registered with any government/ local authorities.
- iii) SCVT Certificate holders who has received institutional training in same trade with same duration of training period & entry qualification.
- iv) There should be trade test by SCVT for all the candidates who are desirous of appearing in the All India trade test under the aegis of NCVT as private candidates. All those, who qualify the SCVT test, may be permitted by the State Director appear in the AITF under NCVT.
- v) Private candidates from establishments covered under the Apprentices Act, 1961 and sponsored candidates of FTIs and SCVT certificate holders (above iii) may be exempted from appearing in the trade test to be conducted by the SCVT.
- vi) Apprentices under the Apprentices Act, 1961 who has failed six times in the All India Trade Tests for Apprenticeship can appear as private candidates in the corresponding FTI trade only. This will be only applicable

to such apprentices who have not qualified earlier for the award of National Trade Certificate by the NCVT.

आपको निर्देश दिए जाते हैं कि दिनांक 12.9.11 तक प्राप्त सभी आवेदनों का उक्त नुसार सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर 13.9.11 से 18.9.11 तक निरीक्षण करते हुए अपनी स्पष्ट प्रफारिश सहित दिनांक 20.9.11 को अधीक्षक परीक्षा के पास दस्ती जमा करवाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, वरहे वह किसी भी कारण से ही क्यों न भेजा गया हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल उसी व्यवसाय के आवेदन प्राप्त किए जाएं जो कि NCVT स्कीम के तहत DGET, Govt. of India, New Delhi द्वारा चलाए जा रहे हों। इसके प्रतिश्वत न तो किसी भी प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाए तथा न ही निदेशालय को भेजा जाए। प्राप्त आवेदनों का निदेशालय पर गठित बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। परीक्षा में छुट देने की शक्ति भी बोर्ड के पास होगी। बोर्ड द्वारा योग्य पाए गये प्रार्थी विभागीय परीक्षा नियम-8 के तहत इलिजीबिलिटी टेस्ट देने के पात्र होंगे, उनका टेस्ट गठित बोर्ड द्वारा आई0टी0आई0, पंचकुला में दिनांक 2.11.11 को लिया जाएगा तथा थ्यूसी विषय में पास हुए प्रार्थीयों की प्रैक्टिकल परीक्षा दिनांक 3.11.11 को ली जाएगी। इस परीक्षा के परिणाम उपरान्त जनवरी/फरवरी, 2012 में होने वाली पूरक परीक्षा में बैठने वाले पात्र उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करते समय अन्य उम्मीदवारों के समान निर्धारित परीक्षा/प्रमाण-पत्र फीस भी ली जाएगी।

प्राईवेट परीक्षा हेतु परीक्षा नियमों व पात्रता वारे विभाग की वेब-साईट "haryana.gov.in." पर तथा दिनांक 7.8.2011 को दो परचलित समाचार-पत्रों (स्थानीय पेपर के जिला संस्करण भाग) में विज्ञापन दे दिया जाएगा।


सहायक निदेशक परीक्षा,
ए. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।
